न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Eviction Appeal –06/2022–23

होबु शेख

बनाम

रंजीत हेम्ब्रम वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपील वाद अपीलकर्त्ता होबु शेख, पिता– मैराज शेख, सा0–कुमरपुर पो0–संग्रामपुर, थाना–पाकुड (मु0) जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के RER वाद सं0–58/2021–22 में दिनांक–14.07.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) झारखण्ड सरकार (2) रंजीत हेम्ब्रम, पिता–रन्तु उर्फ सातुई हेम्ब्रम (3) रूपलाल हेम्ब्रम, पिता–स्व0 मोहन हेम्ब्रम एवं (4) छीता सोरेन, पति–स्व0 जटु मुर्मू सभी का सा0–महारो, थाना–हिरणपुर, जिला–पाकुड़ को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 के द्वारा मौजा–महारो के जमाबन्दी सं0–14 अन्तर्गत दाग सं0–458 एवं 459 अन्तर्गत कुल रकवा 04–14–00 धुर जमीन से इस वाद के अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा RER वाद सं0–58/2021–22 संस्थित करते हुए सुनवाई के पश्चात् दिनांक 14.07.2022 को पारित आदेश द्वारा होबु शेख (इस वाइ के अपीलकर्त्ता) को प्रश्नगत भूमि के साथ दाग सं0–460 से भी उच्छेद किया गया। यह अपीलवाद निम्न न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तार पूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण एवं निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत मौजा–महारो अन्तर्गत जमाबन्दी सं0–14 विगत सर्वे खतियान में (1) पुरगी हाँसदा (2) पार्वती हाँसदा (3) खराम हेम्ब्रम (4) रगदा हेम्ब्रम (5) बड़का हेम्ब्रम एवं (6) मधु हेम्ब्रम के नाम से दर्ज है। परन्तु खतियान के अभ्युक्ति कॉलम में सभी का अलग–अलग दखल दर्शाया गया है। जमाबन्दी सं0–14 का दाग सं0–459 रकवा 02–13–05 धुर खतियान के अभ्युक्ति कॉलम में दखल पार्वती हाँसदा का अंकित है। उसी प्रकार दाग सं0–458 तथा अन्य दाग खतियान के दखल कॉलम में पुरगी हाँसदा, खराम हेम्ब्रम, रगदा हेम्ब्रम, बड़का हेम्ब्रम तथा मधु हेम्ब्रम के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत को छोड़कर अन्य उक्त सभी खतियानी रैयत नावल्द मृत हुए। खतियानी रैयत पुरगी हाँसदा एवं पार्वती हाँसदा आपस में सगी बहने थी। अतः पुरगी हाँसदा की मृत्यु के वाद उसके हिस्से

की भूमि पार्वती हाँसदा को प्राप्त हुई। पार्वती हाँसदा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मुंशी मुर्मू द्वारा प्रश्नगत भूमि का भोग दखल किया जाता रहा। मुंशी मुर्मू की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जदू मुर्मू हुए जिसकी पत्नी छीता सोरेन (उत्तरवादी सं0–03) एवं पुत्र मुंशी मुर्मू द्वारा प्रश्नगत संपत्ति का भोग दखल किया जाने लगा। इस प्रकार दाग सं0–459 केवल खतियानी रैयत पार्वती हाँसदा की है तथा छीता सोरेन एवं मुंशी मुर्मू उनके उत्तराधिकारी है। जबकि दाग सं0–458 में छीता सोरेन एवं मुंशी मुर्मू का भी हिस्सा है एवं वर्तमान में उनके भोग दखल में है। इस वाद के उत्तरवादी सं0– 02 एवं 03 के द्वारा दाग सं0–460 के संबंध में निम्न न्यायालय में कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया था। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इसे भी अपने आदेश में शामिल कर लिया गया। उनका आगे कहना है कि अपीलकर्ता क्रशर व्यवसाय चलाते है एवं प्रश्नगत दाग सं0–459 एवं 458 अन्तर्गत भूमि भाड़े पर उचित मूआवजा देते हुए उपयोग में ला रहे हैं। भाड़े पर दी गई भूमि को हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है एवं यह SPT Act 1949 की धारा 20 का उल्लंघन किसी भी तरह से नहीं है। प्रश्नगत भूमि उन्हें छीता सोरेन पति–स्व0 जदू मुर्मू द्वारा भाड़े पर दी गई है जो दाग सं0–459 की वैध उत्तराधिकारी एवं दाग सं0–458 के वैध हिस्सेदार हैं। जबकि दाग सं0–460 पर उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 का कोई दावा ही नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के बाद ही क्रेशर युनिट की स्थापना की गई है।

उनका आगे कहना है कि संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार विधवा को अपने जीवनकाल तक संपत्ति का पूर्ण अधिकार रहता है। उनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के Mr. Soren vs Ranjan Murmu में पारित न्याय0 निर्णय का हवाला दिया गया। उनका आगे कहना है कि संथाल विधवा जिसका पुत्र नाबालिग है को अपनी जमीन भाड़े पर अथवा लीज पर देने का पूर्ण अधिकार है। यह मामला उच्छेदी का है परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर डीलर्स लाईसेंस रद्द करने का आदेश दिया गया जो कानून की नजर में उचित नहीं है। यदि किसी को लाइसेंस से आपत्ति थी तो उन्हें उचित फोरम में आपत्ति किया जाना चाहिए था। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज किया गया एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित करने के पूर्व इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की गई एवं अपना पक्ष रखने को कोई अवसर नहीं दिया गया। सुनवाई तो केवल उच्छेदी के मामले में की गई थी। डीलर्स लाईसेंस को रदद करने के मामले में नहीं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में डीलर्स लाइसेंस को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

निरस्त (Set aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी सं0 02 एवं 03 के विद्व अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–468 की भूमि पर उनका हिस्सा है। प्रश्नगत भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। अपीलकर्ता का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है तथा वे बाहरी व्यक्ति है। दाग सं0–466 के संदर्भ में उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 के द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त भूमि खतियान में पार्वती हाँसदा के नाम से दखल कॉलम में दर्ज है। दाग सं0–460 के बारे में भी उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 के द्वारा स्वीकार किया गया कि निम्न न्यायालय में उक्त दाग के संदर्भ में आवेदन दाखिल नहीं किया गया था। परन्तु उनका यह कहना है कि यद्यपि उक्त भूमि पर दावा नहीं है परन्तु संथाल कस्टमरी लॉ में महिला को सम्पत्ति का कोई अधिकार नहीं है। अतः उक्त सम्पत्ति छीता सोरेन (उत्तरवादी सं0–04) की नहीं है तथा उक्त सम्पत्ति भविष्य में उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 को प्राप्त होगी।

उनका आगे कहना है कि खतियानी रैयत पार्वती हाँसदा के पौत्र झदू मुर्मू है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। झदू मुर्मू की शादी विधिवत एक धुमरी मराण्डी के साथ हुई थी जिनसे एक पुत्र हुआ। झदू मुर्मू के जीवित रहते उनकी पत्नी घर छोड़कर अपने पिता के घर मौजा–जामबाद चली गई एवं कभी वापस नहीं आई। उनकी मृत्यु के बाद छीता सोरेन झदू मुर्मू के घर आई और रहने लगी। उनकी शादी संथाल रीति रिवाज से कभी नहीं हुई। छीता सोरेन को कोई कोई संतान नहीं है, वो बांझ महिला है। उनका आगे कहना है कि संथाल परगना गजेटियर के अनुसार महिला को सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। महिला सम्पत्ति की अधिकारी तब तक नहीं हो सकती जबतक कि उनका विवाह घरजमाई रीति से नहीं हुआ हो। विधवा, जिनकी कोई संतान नहीं है उसे भी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। वो केवल खरपोस की अधिकारी होती है। अपीलकर्ता द्वारा एक शपथ पत्र के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं जो गलत है।

उनका आगे कहना है कि जब छीता सोरेन को सम्पत्ति पर कोई अधिकार ही नहीं है तो उनके द्वारा अपीलकर्ता को लीज/शपथ पत्र के माध्यम से कब्जा चलाने हेतु भूमि देना उचित नहीं है। अपीलकर्ता बाहरी व्यक्ति है तथा जबरन उनके जमीन पर कब्जा किए हुए है जिसके कारण उन्हें मालदा (प0बं0) में जा कर रहना पड़ रहा है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी सं0–04 के विद्व अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 के द्वारा निम्न न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि दाग सं0–459 की द

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	वैद्य उत्तराधिकारी हैं तथा दाग सं0–458 की सह–हिस्सेदार है। सर्वे खतियान में दाग सं0–459 खतियानी रैयत पार्वती हाँसदा के दखल में दर्शाया गया है। उत्तरवादी सं0–04 उक्त पार्वती हाँसदा की पौत्रवधु है। प्रश्नगत दाग सं0–458 खतियान में पुरगी हाँसदा एवं अन्य के नाम से दर्ज है। पुरगी हांसदा एवं पार्वती हाँसदा सगी बहने थी। पुरगी हाँसदा की नावल्द मृत्यु के बाद उनके हिस्से की जमीन पार्वती हाँसदा को प्राप्त हुई। इस आधार पर दाग सं0–458 की आधी जमीन की उत्तरवादी सं0–04 वैद्य उत्तराधिकारी है। उत्तरवादी सं0–04 की शादी झटु मुर्मू के साथ हुई थी। जिससे एक पुत्र मुंशी मुर्मू है। झटु मुर्मू की मृत्यु हो चुकी है। उत्तरवादी सं0–04 छीता सोरेन एवं उनके पुत्र मुंशी मुर्मू दाग सं0–459 एवं 458 के आधे हिस्से के वैद्य उत्तराधिकारी है। क्योंकि मुंशी मुर्मू नाबालिग है इसलिए उनकी मांता छीता सोरेन द्वारा Natural एवं Legal Guardian की हैसियत से दाग सं0–459 की भूमि एवं दाग सं0–458 के अपने हिस्से की भूमि होबु शेख (अपीलकर्त्ता) को क्रशर मशीन चलाने हेतु भाड़े (Rent) पर दी गई हैं। उक्त दागों पर क्रशर मशीन संचालन हेतु होबुं शेख को विधिवत सक्षम पदाधिकारी द्वारा लाइसेंस भी निर्गत है। उक्त दागों की भूमि कृषि योग्य नहीं है फलतः अपने नाबालिग बच्चे मुंशी मुर्मू के पालन पोषण हेतु उक्त भूमि भाड़े पर दी गई है जिसमें SPT Act 1949 के किसी भी धारा का उल्लंधन नहीं है। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अधुरा है एवं इसी अधुरे प्रतिवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया तथा उत्तरवादी सं0–04 को उनकी ही जमीन से उच्छेद कर दिया गया है। उत्तवादी सं0–02 एवं 03 के द्वारा जानबुझ कर उत्तवादी सं0–04 एवं उनके नाबालिग पुत्र को भुखें मारने एवं उनकी सम्पत्ति हड़प कर जाने के उद्धेश्य से यह वाद लाया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set aside) करने का अनुरोध किया गया।
	सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा मौजा–महारो के दाग सं0–460, 459 एवं 458 से इस वाद के अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि
	इस वाद के उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 के द्वारा केवल दाग सं0–458 एवं 459 के लिए आवेदन दाखिल किया गया था, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा दाग सं0–460 से भी इस वाद के अपीलकर्त्ता को उच्छेद कर दिया गया। दाग सं0–460 विचारण का बिन्दू ही नही था तथा इस दाग से उच्छेद करने का क्या कारण है यह भी स्पष्ट नही किया गया। न तो दाग सं0–460 के वैद्य उत्तराधिकारी को नोटिस किया गया और न ही विवेचना किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (5)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

अतः दाग सं0–460 से उच्छेदी संबंधी पारित आदेश न्यायोचित नही है।

अंचल अधिकारी, हिरणपुर का जाँच प्रतिवेदन जो निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न है तथा दाग सं0–460 के पर्चा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दाग सं0–460 के खतियानी रैयत पार्वती हाँसदा थी। खतियान में अभ्युक्ति कॉलम में दाग सं.0–460 को दखल पार्वती हाँसदा अंकित है। उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 का दावा है कि छीता सोरेन की शादी झाटू मुर्मू के साथ नहीं हुई थी एवं मुन्शी मुर्मू उनके पुत्र नहीं है। परन्तु उत्तरवादी सं0–04 द्वारा दाखिल कागजात एवं अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि छीता सोरेन, पार्वती हाँसदा की पौत्रवधु है। दाखिल कागजात से ज्ञात होता है कि पार्वती हाँसदा एवं झाटू मुर्मू के पुत्र मुंशी मुर्मू है। निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व उक्त दाग के वैध उत्तराधिकारी को नोटिस निर्गत नहीं किया गया। उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 के द्वारा न तो छिता सोरेन और न ही मुंशी मुर्मू को निम्न न्यायालय में पक्षकार बनाया गया। उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 स्वयं को खतियानी रैयत का वैध उत्तराधिकारी प्रमाणित करने में असफल रहे। अतः दाग सं0–459 से उच्छेद करने संबंधी आदेश भी न्यायोचित नही है।

उभय पक्ष के दलील से स्पष्ट है कि दाग सं0–458 में छीता सोरेन एवं मुंशी मुर्मू का भी हिस्सा है। परन्तु उक्त दाग की जमीन का आपसी बंटवारा संबंधी कोई कागजात उत्तरवादी सं0–04 के द्वारा दाखिल नही किया गया। ऐसे में उक्त दाग की भूमि का कोई खास हिस्सा छिता सोरेन एवं मुंशी मुर्मू को किस प्रकार प्राप्त हुआ है यह स्पष्ट नही है। यह संयुक्त सम्पति है एवं इस दाग की भूमि को किसी एक पक्ष के द्वारा क्रशर संचालन हेतु किसी को भाड़े पर दिया जाना उचित नही है। अतः दाग सं0–458 से अपीलार्थी को उच्छेद करने संबंधी निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्य पूर्ण आधार नही है।

निम्न न्यायालय द्वारा SPT Act 1949 के प्रावधानों के तहत् सुनवाई के मामले में क्रशर संचालन पर रोक एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु कार्रवाई का भी आदेश पारित किया गया है। क्रशर लाइसेंस (डीलर्स लाइसेंस) की अनुज्ञप्ति जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दी जाती है। उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 का कहना है कि संथाल करटमरी लॉ के अनुसार विधवा महिला जिनका कोई संतान नहीं हो उसे सम्पति का अधिकारी नही होता है। अतः छीता सोरेन प्रश्नगत दागों की भूमि क्रशर संचालन हेतु किसी अन्य को नही दे सकती है। इस संदर्भ में अपीलकर्त्ता द्वारा नारायण सोरेन एवं अन्य बनाम रंजन मुर्मू एवं अन्य में दिनांक 12.12.2008 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

निर्णय का हवाला दिया गया है जिसका उद्धरण निम्नवत् है :-

IV. THE PERMANENT WIDOW IN A JOINT FAMILY If this is the position when a widow remarries what are her right if she does not take another husband but remains a widow? In such cases she is virtually a substitute for her husband. She steps into his place, acts as his representative and exercises almost all his rights and duties.

If her hasband was joint with his brothers she will continue to live in the family and the situation will not differ materially from what it was in her husband's lifetime. Her right to maintenance will continue and if her husband's family meglects her without cause she can demand sufficient land to keep her. If there is a complete family partition the widow and her children will get the share which would have gone to her husband had he been alive.

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकृत कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संशोधन करते हुए अपीलकर्त्ता को केवल दाग सं0-458 की भूमि से उच्छेद किया जाता है। दाग सं0-460 एवं 459 से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किए जाने वाले आदेश के अंश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि वे अपीलकर्त्ता को निर्गत डीलर्स लाइसेंस की समीक्षा कर लेंगे तथा संतुष्ट हो लेंगे कि दाग सं0-460 एवं 459 के वैध उत्तराधिकारियों द्वारा भूमि की अनापत्ति दी गई है अथवा नहीं। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

उभय पक्ष के विद्व अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ. स. दु. हैं.
पाकुड़।

उ. स. दु. हैं.,
पाकुड़

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.19 11:12:14 +05:30
Location: 192.168.45.62

Scanned with OKEN Scanner